न्यायालयः - द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म०प्र०) (समक्षः श्री पी.सी. आर्य)

> सिविल अपील क्रमांकः 13/14 संस्थापन दिनांक 02.01.2012 फाइलिंग नं-230303001922012

मेवाराम पुत्र बद्रीप्रसाद उम्र 54 वर्ष 1. जाति बाथम निवासी ग्राम इटाइन्दा परगना गोहद जिला

.....अपीलार्थी / वादी

बनाम

- महीपत पुत्र छिग्गू उम्र 39 वर्ष जाति कुशवाह 1. निवासी ग्राम इटाइन्दा परगना गोहद, जिला भिण्ड.
- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड म0प्र0 2-

.....प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण

अपीलार्थी द्वारा श्री भगवती राजोरिया अधिवक्ता। प्रत्यर्थी कृ० 1 श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता । प्रत्यर्थी क0-2 पूर्व से एक पक्षीय ।

न्यायालय-श्री सुशील कुमार चौहान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गोहद, जिला भिण्ड द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-33 ए/2010 ई.दी. में पारित निर्णय दिनांक 30 / 11 / 2011 से उत्पन्न सिविल अपील।

<u>—::- **नि र्णा य** —::-</u> (आज दिनांक 14 अक्टूबर **2014** को घोषित किया गया)

- वादी / अपीलार्थी मेवाराम की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील धारा ९६ सी०पी०सी० के अंतर्गत न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद श्री सुशील कुमार चौहान द्वारा सिविल वाद प्रकरण क्रमांक 33ए/2010 में दिनांक 30/11/11 को पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 5/12/11 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी / अपीलार्थी का मूल वाद खारिज किया है ।
- प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रत्यर्थी / प्रतिवादी महिपाल ग्राम इटाइन्दा परगना गोहद के सर्वे क्रमांक 1153 रकवा 0.219 हैक्टेयर का इन्द्राजित भूस्वामी है । यह भी निर्विवादित है कि वादी/अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी / प्रतिवादी के मध्य प्र0पी0-4 एवं प्र0पी0-5 के अनुबंध पत्रों की लिखापढी हुई थी ।

- 03— विचारण न्यायालय में अपीलार्थी / वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि ग्राम इटाइन्दा परगना गोहद के भूमि सर्वे नंबर 1153 का रकवा 0.209 प्रतिवादी क0—1 के स्वत्व एवं आधिपत्य का था और आज भी उसके कब्जे में होकर उसकी खेती हो रही है । वादी अनुसार प्रतिवादी क0—1 ने दिनांक 29/11/07 को 18,000/— रूपये में विक्रय अनुबंधपत्र निष्पादित कर भूमि को हस्तान्तरित करने के संबंध में नोटरी के यहां लिखापढी की गई और अनुबंधपत्र संपादित हुआ । इस अनुबंध की अविध पूरी होने के पहले ही प्रतिवादी क0—1 को अपने घर के खर्च के लिये कुछ अतिरिक्त रूपयों की आवश्यकता हुई तो दिनांक 30—6—98 को 20,400/— रूपये लेकर दूसरा अनुबंधपत्र नोटरी के यहां सम्पादित हुआ तथा अनुबंध में 2 वर्ष के अंदर कुल रकम 38,400/— रूपये 2 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित एक मुश्त में अदा ना करने पर वादी के हक में रिजस्टर्ड विक्रयपत्र करने का तय हुआ ।
- 04. इस आशय के भी अभिवचन है कि यदि प्रतिवादी क0—1 भूमि के संबंध में विक्रयपत्र सम्पादित नहीं करते हैं, तो वादी को न्यायालय से कार्यवाही कर विक्रयपत्र सम्पादित करने का अधिकार होगा । अनुबंध के अनुसार अविध्यूपण होने पर जब प्रतिवादी क0—1 को विक्रयपत्र अनुबंध करने या विकल्प में 2/— रूपये सैकडा ब्याज सिहत 38,400/— रूपये अदा करने के लिये कहा गया तो प्रतिवादी क0—1 विक्रयपत्र निष्पादित करने में या रूपया मय ब्याज अदा करने में टालमटोल करने लगा । प्रतिवादी क0—1 के मन में बेईमानी आ गई है इसलिये ना तो वह विक्रयपत्र सम्पादित करना चाहता है, और ना ही रूपया देना चाहता है । इस संबंध में जब उसे कहा गया तो वह कहने लगा वह भूमि को किसी ताकतवर व्यक्ति को बेच देगा और दिनांक 30—6—10 को गलत रूप से नोटिस वादी को भेजा गया, इसलिये वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर विक्रयपत्र दिनांक 20/6/08 का विशिष्ट पालन कराये जाना विकल्प में 38,400/— रूपये की राशि मय ब्याज दिलाये जाने की सहायता चाही गई है ।
- 05. प्रतिवादी क0—1 की और से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत कर यह व्यक्त किया गया कि जो विक्रयपत्र अनुबंधपत्र हुआ था उनमें यह तय हुआ था, कि उनमें यह तय हुआ था कि जो फसल जमीन में होगी वह प्रतिवादी क0—1 वादी को देगा । इसी अनुसार वादी को प्रतिवादी क0—1 ने दिनांक 30—4—08 को 30 मन गेहूं दिनांक 30—4—09 को 28 मन गेहूं तथा 30—4—10 को 32 मन गेहूं दिया गया । इस प्रकार वादी से प्रतिवादी ने जो रूपया लिया था उनका भुगतान गेहूं के माध्यम से हो सका है गेहूं की कीमत 42 हजार रूपये होती है, चूंकि गांव में इसी प्रकार का चलन है, और प्रतिवादी क0—1 सीधा—सादा व्यक्ति है और वादी चालक किस्म का व्यक्ति है इसलिये उसने गेहूं प्राप्त करने की रसीद नहीं दी है और गलत तथ्यों पर दावा लगाया है, क्योंकि जो रूपया वादी से लिया था उक्त रूपये प्रतिवादी क0—1 के द्वारा गेहूं के रूप में वापिस करा दिया गया है । अतः ऐसे में वादी अनुबंध की विशिष्ट पालन कराये जाने का अधिकारी नहीं है । वादी को संपूर्ण राशा अदा हो चूकी है ।
- 06. प्रतिवादपत्र में यह भी व्यक्त किया गया कि वादी ने भूमि के अन्य सहकृषक सुखेलाल आदि, नाथूराम आदि था भूरेलाल को पक्षकार नहीं बनाया है,

इसलिये प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष होने की आपित लेते हुये वाद को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है । प्रकरण में प्रतिवादी क0—2 एक पक्षीय है एवं उसके विरूद्ध प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 16/12/10 के अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, जो कि प्रकरण में कृषि भूमि होने से औपचारिक पक्षकार है, और उसके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई है इसलिये प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क0—2 के संबंध में कोई और निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है ।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारों के अभिवचनों एवं 07— प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद प्रश्नों की रचना करते हुये विचारण कर गुणदोषों पर दिनांक 30–11–11 को घोषित निर्णयानुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य ना पाते ह्ये निरस्त किया, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील वादी / अपीलार्थी की और से पेश कर सारतः यह आधार लिया है कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में निकाले निष्कर्ष विधि एवं तथ्यों के प्रतिकुल है, क्योंकि प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क0-1 ने अपने वादोत्तर में अनुबंधपत्र दिनांक 20/11/07 और 30-6-08 का निष्पादन स्वीकार किया था, जिससे रूपये प्राप्त करना प्रमाणित है । प्रत्यर्थी / प्रतिवादी ने प्राप्त राशि के बदले में फसल दिये जाने के आधार पर राशि चुकता हो जाना बताया है, जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया किन्तु, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की सबल साक्ष्य को अग्राहय कर प्रत्यर्थी / प्रतिवादी की साक्ष्य को विश्वसनीय मानकर वाद खारिज करने में विधि एवं तथ्य की गंभीर त्रुटि की है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे और उसका वाद डिक्री किया जाये तथा प्रकरण व्यय भी दिलाया जाये ।

08— अपील के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:—

- (1) क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक 33ए/10इ0दी0 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 5/11/12 प्रकरण में आई साक्ष्य एवं विधि के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है?
 - (2) क्या वादी / अपीलार्थी का मूल वाद डिक्री योग्य है?

-::- <u>निष्कर्ष के आधार</u> -::09. <u>विचारणीय प्रश्न कमांक 1 एव 2</u>

अभिलेख पर उपलब्ध लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण पुनरावृत्ति न हो इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

10. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है, कि सिविल मामलों का

निराकरण प्रबल संभावनाओं के संतुलन के आधार पर किया जाता है, और यह भी सुरथापित विधि है कि वादी को अपना वाद स्वंय की सामर्थ से प्रमाणित करना होता है वह प्रतिवादी की किसी भी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है। हस्तगत मामलें में वादी/अपीलार्थी का मूल वाद प्र0पी0-4 एवं प्र0पी0-5 के निष्पादित अनुबंधपत्रों पर आधारित है । प्र0पी0-4 एवं प्र0पी0-5 के विक्रय अनुबंधपत्र का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया । प्र0पी0–4 के विक्रय अनुबंधपत्र दिनांक 20-11-07 को यदि देखे तो उसमें पद क0-4 में वादी एवं प्रतिवादी के बीच यह तय हुआ है कि यदि प्रतिवादी केवल दो रूपया सैकडा ब्याज एक मुश्त निर्धारित 3 वर्ष की अवधि में अदा कर देता है, तो ऐसे में अनुबंध भूमि से वादी का कोई सरोकार नहीं रहेगा और ऐसी दशा में अनुबंध के पद क0–1,2,3 में जो तय हुआ है वह निरस्त माना जायेगा । यदि प्रतिवादी पैसा अदा नहीं करता है और टाल–मटोल करता है तो, ऐसी स्थिति में पद क0-4 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के बीच जो तय हुआ है वह निरस्त माना जायेगा, और ऐसी दशा में विक्रय अनुबंध पत्र के पद क0-1 लगायत 3 के अनुसार जो तय हुआ है उसके अनुसार वादी जरिये न्यायालय विक्रयपत्र सम्पादित कर सकेगा ।

- 11. इसी कम में प्र0पी0—5 के विकय अनुबंधपत्र दिनांक 30—6—08 को यदि देखे तो यह विकय अनुबंधपत्र पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी के बीच हुये विकय अनुबंध पत्र दिनांक 20—11—07 की अविध पूर्ण होने के पहले ही प्रतिवादी को रूपयों की आवश्यकता होने के कारण सम्पादित हुआ । इस विकय अनुबंधपत्र को सम्पूर्णता से यदि देखे तो यह सामने आया है कि वादी एवं प्रतिवादी के बीच यह हुआ कुल 34,800/— रूपये यदि प्रतिवादी वादी को 2 साल के अंदर कराकर दी जायेगी, यदि रूपया अदा नहीं होता है तो फिर प्रतिवादी क0—1 वादी के हक में वयनामा करने के लिये पाबंद रहेगा । इस अनुबंधपत्र में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि, भूमि को बेचना तय नहीं हुआ है, अपितु उसे बंधक के रूप में रखा जाना तय हुआ है ।
- 12. इस प्रकार प्र0पी0—4 एवं प्र0पी0—5 के दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी के बीच मूलतः रूपयों को लेकर अनुबंध सम्पादित हुये, यदि रूपया अनुबंध की शर्तों के मुताबिक वापिस नहीं किये जाते है तो, ऐसी स्थिति में ही विक्रय अनुबंधपत्रों में उल्लेखित भूमि का विक्रयपत्र प्रतिवादी के द्वारा वादी के पक्ष में सम्पादित कराया जाना था ।
- 13. हस्तगत प्रकरण में वादोत्तर में मूलतः जो अभिवचन किये गये हैं उसमें प्रत्यर्थी / प्रतिवादी कृ0—1 की और से प्र0पी0—4 व 5 के अनुबंध के अनुक्म में वादी / अपीलार्थी को दिनांक 30—4—08 को तीस मन गेहूं दिनांक 30—4—09 को 28 मन गेहूं और दिनांक 30—4—10 को 32 मन गेहूं देकर राशि का भुगतान चुकता हो जाना बताया है । गेहूं की कीमत करीब 42,000 / रूपये प्रकट की है, और इसी आधार पर अनुबंधपत्रों का अनुपालन ना कराये जाने की प्रार्थना की गई है ।
- 14. प्रत्यर्थी / प्रतिवादी यह आधार दावा पूर्व दी गई प्र0डी0—1 और प्र0डी0—2 के प्रदत्त नोटिस में भी उल्लेखित किया गया है, इसलिये प्रकरण में

मूलतः यह बिन्दु भी विचार योग्य रहेगा कि क्या गेहूं के माध्यम से राशि अदा हो गई है, और क्या गेहूं प्रदान किया गया, लेकिन बादोत्तर के अभिवचनों से प्र0पी0—4 एवं प्र0पी0—5 के अनुबंध क्रमशः दिनांक 20—11—07 एवं 30—6—08 को निष्पादित होना तो प्रमाणित होता है, और इस संबंध में वादी/अपीलार्थी की और से जो मोखिक साक्ष्य पेश की गई है उसमें स्वंय वादी/अपीलार्थी मेवाराम वा.सा.—1, रमेश वा.सा.—2 और लक्ष्मन वा.सा.—3 ने अपने शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण की साक्ष्य में भी अनुबंधपत्रों के बावत बताया है।

- 15. प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क0—1 की और से जो मौखिक साक्ष्य पेश की गई उसमें स्वंय प्रत्यर्थी / प्रतिवादी महिपाल प्र0सा0—1 उसका साक्षी नबलिसंह प्र0सा0—2 एवं देवलाल प्र0सा0—3 के अभिसाक्ष्य में प्र0पी0—4 एवं प्र0पी0—5 के अनुबंधपत्रों का खण्डन नहीं किया गया है, और यह सुस्थापित विधि है कि यदि कोई तथ्य को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे सिद्ध करने के लिये अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 में स्पष्ट प्रावधान है तथा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी न्याय दृष्टांत खतचरा ब्रदर्श वि० एम०के० मेरीमॉल 1999 भाग—1 एम०पी० विकली नोट (एस०सी०) शार्टनोट 189 अवलोकनीय है । लिखित तर्को में भी वादी / अपीलार्थी की और से इसी संदर्भ में तर्क किया गया है जिसका प्रत्यर्थी / प्रतिवादी की और से प्रस्तुत लिखित तर्को में खण्डन नहीं किया है, केवल यह कहा है कि गेहूं के रूप में राशि का भुगतान मय ब्याज हो चुका है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष पुष्टि योग्य है ।
- अभिलेख पर प्र0पी0–6 के रूप में वर्ष 2010–2011 का जो खसरा पांचशाला पेश किया गया है उसके मुताबिक प्रत्यर्थी / प्रतिवादी महिपाल सर्वे कुमांक 1153 / 5 मूल रकवा 0.815 हैक्टेयर में से रकवा 0.219 हैक्टेयर का इन्द्राजित भूस्वामी हैं, और यह सुस्थापित विधि है कि कोई भी सहस्वामी अपने हिस्से की सीमा तक भूमि का अंतरण या व्ययन कर सकता है, ऐसे में खसरा अभिलेख मुताबिक सहकृषक प्रकरण के लिये आवश्यक पक्षकार नहीं माने जा सकते हैं, और पक्षकारों के असंयोजन संबंधी वाद प्रश्न क0-3 के संबंध में आलोच्य निर्णय कंडिका-22 मुताबिक निकाले निष्कर्ष अवश्य पृष्टि योग्य है किन्तू, जहां तक वाद प्रश्न क0–1 का प्रश्न है पक्षकारों के अभिवचनों और मौखिक साक्ष्य से ही प्र0पी0-4 और प्र0पी0-5 के दस्तावेजों का अस्तित्व अवश्य स्थापित है, किन्तु जहां तक उनकी प्रकृति और स्वरूप का प्रश्न है इसके संबंध में विधिक स्थिति देखना होगी । दस्तावेजों के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि, प्रत्येक दस्तावेज के निबंधनों से ही उसकी प्रकृति और आशय एकत्रित किया जाना चाहिये जैसा कि माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय द्वारा <u>न्याय</u> दुष्टांत रमाकांत दुबे वि० सूरेशचंद्र 1990 भाग-2 एम0पी० विकली नोट शार्ट नोट 184 में मार्गदर्शन दिया गया है, ऐसे में प्र0पी0-4 और प्र0पी0–5 की प्रकृति व दस्तावेज के आशय के संबंध में आवश्यक विशलेषण करना होगा।
- 17. प्र0पी0-4 और प्र0पी0-5 के दस्तावेज के आलेख का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि, दोनों ही दस्तावेज मूलतः वादग्रस्त भूमि के

विक्रय का अनुबंध ना होकर दस्तावेजों के तहत प्राप्त की गई राशि की स्रक्षा के लिये लिखाये गये दस्तावेज परीलक्षित होते हैं, क्योंकि उनमें मूलतः इस बात का उल्लेख है कि यदि राशि मय ब्याज अदा कर दी जाती है तो फिर वे निरस्त माने जायेगें । न्याय दृष्टांत मनोहरलाल वि० स्गनचंद्र 1977 एम0पी0एल0जे0 शार्टनोंट 58 में भी यह मार्गदर्शन दिया गया है कि दस्तावेज की प्रकृति में दस्तावेज की शब्दावली के आधार पर निश्चित की जानी चाहिये, तथा न्याय दृष्टांत चंदरिया वि० टोटिया 1996 रेवन्यू निर्णय पेज 353 में यह मार्गदर्शित किया गया है कि कोई दस्तावेज भूमि के विकय का अनुबंध है या कर्ज की सुरक्षा हेत् लिखा गया है, यह जानने के लिये संव्यवहार और दस्तावेज की प्रकृति एवं पक्षकारों का आशय देखना चाहिये । प्र0पी0-4 और प्र0पी0-5 के इस संदर्भ को देखा जाये तब भी वह वास्तव में भूमि के विक्रय का दस्तावेज परीलक्षित नहीं होता है केवल कर्ज की सुरक्षा के लिये लिखा गया दस्तावेज ही है, ऐसे में प्र0पी0-4 एवं प्र0पी0-5 को वादग्रस्त भूमि का विक्रय अनुबंधपत्र पक्षकारों के मध्य निष्पादित होना ना मानकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विधिक त्रृटि नहीं की है, ऐसे में वादी / अपीलार्थी का यह आधार कि वह विक्रयपत्र संपादित करने के लिये हमेशा तत्पर व तैयार रहा है यह स्वंय ही निरर्थक हो जाता है, क्योंकि प्र0पी0-4 एवं 5 के अनुपालन में विक्रयपत्रों का निष्पादन उक्त स्थिति में संभव ही नहीं है, क्योंकि दस्तावेज वास्तविक विक्रय अनुबंधपत्र ना होकर कर्ज सुरक्षा की प्रकृति के होना पाये जाते हैं ।

- जहां तक प्र0पी0-4 और प्र0पी0-5 के अनुक्रम में गेहूं के माध्यम 18 से कर्ज अदायगी का प्रत्यर्थी / प्रतिवादी द्वारा आधार लिया गया है उसके संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसे देखा जाये तो वादी/अपीलार्थी की और से वा.सा.–1 लगायत वा.सा.–3 के रूप में जो साक्ष्य पेश होना उन्होंने साक्ष्य दी है अनुबंधपत्रोंके बावत ही मेवाराम वा.सा.—1 प्रत्यर्थी / प्रतिवादी द्वारा दिनांक 30-4-08 को तीस मन गेहूं 30-4-09 को 28 मन और 30-4-10 को 32 मन गेहूं प्राप्त करने से इंकार किया है, और उसके आधार पर कर्ज अदायगी से भी इंकार किया है । यह अवश्य स्वीकार किया है कि प्रतिवादी भी अनपढ है, और इस बात से इंकार किया है कि, गेहूं के माध्यम से उसके पास 42,000 / – रूपये आ गये हैं तथा कोई लेनदेन बकाया नहीं है।
- 19. इस संबंध में प्रत्यर्थी / प्रतिवादी की और से जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें मिहपत प्र0सा0—1, नबलिसंह प्र0सा0—2, देवलाल प्र0सा0—3 तीनों ने ही मुख्य परीक्षण में एक जैसा अभिसाक्ष्य दी है और तीन बार तीनों वर्षों में गेहूं के माध्यम से अदायगी बताई है, जिसके संबंध में वादी / अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह लिखित तर्क रहा है कि, प्रतिवादी की उक्त बात इसलिये स्वीकार नहीं की जा सकती है, कि अनुबंधपत्रों में प्राप्त रूपये मय ब्याज रूपये के माध्यम से ही वापिसी की शर्त थी । गेहूं के रूप में अदायगी की कोई शर्त नहीं थी, तथा वास्तविकता में कोई अदायगी नहीं की गई है, और इस तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था जो उसने धारा 101 साक्ष्य विधान के अनुरूप पूर्ण नहीं किया है, और इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है, उन्होंने यह बिन्दु भी उठाया कि प्रत्यर्थी / प्रतिवादी ग्रामीण अशिक्षित और गरीब व्यक्ति बताता है, किन्तु गेहूं के रूप में वापिसी की निश्चित

तारीखे बताता है जो कि संभव ही नहीं है, और अनुबंध अनुसार रूपये मय ब्याज एकमुश्त देने का तय हुआ था, जब रूपये लेनदेन की लिखित में लिखापढी थी तो गेहूं अदायगी की भी रसीद होना चाहिये थी, उन्होंने प्रतिवादी के साक्ष्य पर भी ध्यान आकृष्ठ कराया है, जब कि प्रत्यर्थी / प्रतिवादी के अधिवक्ता ने लिखित तर्कों में प्रतिवादी की मौखिक साक्ष्य स्वभाविक और विश्वसनीय होने का तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित रूप से विशलेषित किये जाने का तर्क किया है।

- 20. अभिलेख पर जो दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध है उसके मुताबिक प्रत्यर्थी / प्रतिवादी पर रकवा 0.219 हैक्टेयर भूमि है जिसमें वह खेती करना बताते हैं । भूमि सिंचित है या असिंचित यह स्पष्ट नहीं बताया गया है । प्र0पी0—6 के रूप में जो खसरा अभिलेख पर है उसमें भी यह स्पष्ट नहीं है कि भूमि एक फसलीय है या दो फसलीय है या सिंचित है या असिंचित यह स्पष्ट नहीं है, किन्तु उसमें सरसों और चना की फसल का उल्लेख हैं गेहूं की फसल का उल्लेख नहीं है, इससे यदि यह माना जाये कि भूमि सिंचित है और दो फसलीय होगी जब भी गेहूं, सरसों, चना की फसल जो कि रवि की फसल कहलाती है एक साथ एक ही समय में होती हैं ।
- प्रत्यर्थी / प्रतिवादी ने ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया है जिससे उसकी गेहूं की फसल दर्शाये वर्षो अर्थात 2008 से 2010 के मध्य गेहूं की फसल करना प्रकट होता हो । बादोत्तर के अभिवचनों में यह उल्लेखित किया गया है कि, उनके गांव में इसी प्रकार का चलन है, अर्थात कर्ज अदायगी फसल के माध्यम से की जाती है, और वादी चालक किस्म का व्यक्ति है उसके द्वारा रसीद नहीं दी गई, किन्तु इस संबंध में महिपाल प्र0सा0-1 ने अपनी साक्ष्य में कुछ नहीं बताया है वह तिल्ली की फसल के वाद गेहूं की फसल करना कहता है, उसके द्वारा पैरा–4 में जिस तरह की साक्ष्य दी गई उससे दो फसलें करना वह प्रकट करता है । पैरा-5 में उसने गेहूं वादी मेवाराम को खिलहान में नबलिसंह और देवलाल के सामने दिया जाना मेबालाल के द्वारा टैक्टर में भरकर ले जाना खलिहान में थ्रेसर से गेहूं कटवाना बताया है, और यह कहा है कि गेहूं देने की उसने कभी कोई लिखापढी नहीं की है, उसके परिवार को एक साल में 12 मन गेहूं लगता है उसके साक्षी नबलिसंह प्र0सा0-2 के पैरा–2 मुताबिक 32 मन प्रतिबीघा के हिसाब से गेहूं होता है, और वह वादी को गेहूं दिये जाते समय खंय तौल करना कहता है, उसने तखरी पसेरी से तीनों वर्षो 2008, 2009, 2010 में तौल करके दी थी उसके मुताबिक वर्ष 2008 में मेवाराम को गेहूं देने के वाद 40 किलो गेहूं महिपत पर रह गये थे ।
- 22— इसी प्रकार वर्ष 2009 में 50 किलो गेहूं और 2010 में केवल 10 किलो गेहूं शेष रह गया था, और मिहपत ने गेहूं खाने के लिये पूरे साल मजदूरी की थी, लेकिन गेहूं किससे खरीदे इसकी उसे जानकारी नहीं है, जो गेहूं मिहपाल ने मेवालाल को दिये थे उसके संबंध में उसके सामने कोई लिखापढी नहीं हुई थी, ना ही उसने लिखापढी की थी, लेकिन दोनों पक्षों ने लिखापढी के लिये कह दिया था, जब कि देवलाल प्र0सा0—3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहा है कि एक मन में 8 पसेरी गेहूं होते हैं और गेहूं मेवालाल को चौकीदार ने तौलकर दिये थे । चौकीदार मेवाराम को ही वह बताता है अर्थात उसके मृताबिक गेहूं मेवाराम ने तोले जब कि, नबलिसंह स्वंय तौलना कहता है, और

महिपाल भी नबलिसंह का तौलना कहता है ऐसे में गेहूं देने और उसके तौल के संबंध में प्रतिवादी के साक्षियों में ही विरोधाभास की स्थिति हैं।

- 23. देवलाल प्र0सा0—3 ने यह भी कहा है कि गेहूं तीन वर्षों में मिहपाल ने मेवाराम को गेहूं दिये थे तब मिहपाल पर गेहूं शेष नहीं रहे इससे नबलिसंह का पैरा—2 में प्रथम वर्ष में 40 किलो गेहूं, द्वितीय वर्ष में 50 किलो गेहूं और तृतीय वर्ष में 10 किलो गेहूं रह जाने की बात का खण्डन होता है । देवलाल के मुताबिक मिहपाल ने मेवाराम को गेहूं दिये थे, उसकी लिखापढी मेवाराम ने की थी और उस लिखापढी पर मेवालाल व मिहपाल ने हस्ताक्षर भी किये थे उस समय वह तथा नबलिसंह, मेवाराम और मिहपत मौजूद थे, इस स्वीकारोक्ति से प्रत्यर्थी / प्रतिवादी का वादोत्तर का अभिवचन कि गेहूं प्राप्ति की रसीद वादी ने नहीं दी और मौखिक साक्ष्य में भी मिहपाल का व नबलिसंह का गेहूं देने की लिखापढी ना होने का तथ्य खिण्डत हो जाता है ।
- 24. ऐसे में जो मूल दावा प्रत्यर्थी / प्रतिवादी का गेहूं के रूप में कर्ज अदायगी का रहा है उस बावत अभिलेख पर सुदृढ खण्डन साक्ष्य नहीं आई है, और इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने गेहूं के रूप में अदायगी को विश्वसनीय माना वह कर्ताई पुष्टि योग्य नहीं रह जाता है । इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत इंदोरप्पा वि० स्टेट ऑफ तिमलनायडू ए०आई०आर० 1974 (एस०सी०) अवलोकनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा साक्ष्य विधान की धारा 101 की व्याख्या करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि, जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व को प्रकट करता है तो उसका प्रमाण भार उसी पर होता है ।
- 25. हस्तगत मामलें में प्रत्यर्थी / प्रतिवादी ने इस तथ्य को प्रकट किया कि उसने जो कर्ज लिया उसकी अदायगी गेहूं के रूप में कर दी ऐसे में वास्तविकता में गेहूं के रूप में कर्ज अदायगी हुई इस तथ्य को साबित व प्रमाणित करने का भार प्रत्यर्थी / प्रतिवादी महिपाल पर था जो उसने उपरोक्त विशलेषण अनुसार पूर्ण रूप से वहन नहीं किया है, ऐसे में गेहूं के रूप में कर्ज अदायगी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और इस बावत अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर संपुष्टिकारक नहीं है ।
- 26. वादी / अपीलार्थी ने मूल वाद संविदा के विर्निदिष्ट अनुपालन बावत प्र0पी0—4 व प्र0पी0—5 पर आधारित कर पेश किया था, जिसमें वैकल्पिक रूप से यह सहायता भी चाही गई थी कि यदि किसी कारण बयनामा संपादित नहीं कराया जाता है तो संपूर्ण राशि मय ब्याज दिलाई जावे । इस तरह के वादों में वैकल्पिक सहायता प्रदान की जानी चाहिये । हस्तगत मामलें में प्र0पी0—4, प्र0पी0—5 कर्ज सुरक्षा के दस्तावेज माने गये हैं, जिनके तहत प्राप्त की गई राशि प्रत्यर्थी / प्रतिवादी के द्वारा अदा की जाना प्रमाणित नहीं हुआ है । गेहूं के रूप में भी अदायगी साबित नहीं हुई है ।
- 27. ऐसी स्थिति में दोनों अनुबंधपत्रों के तहत प्राप्त कुल राशि 38,400/— रूपये एवं उस पर न्यून्तम ब्याज वादी/अपीलार्थी प्रत्यर्थी/प्रतिवादी

से प्राप्त करने का अधिकारी होना मान्य किया जाता है, और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत सरदारिसंह वि० लक्ष्मणिसंह 2001 भाग—1 एम०पी०जे०आर० पेज 34 में यह मार्गदर्शन दिया है कि, जहां संविदा के विनिदिष्ट अनुपालन का वाद निरस्त किया जाता है, और अनुबंध में दी गई राशि प्रमाणित है तो ऐसी धनराशि मय ब्याज वापिस दिलाई जानी चाहिये, जो हस्तगत मामलें में उत्पन्न परिस्थितियों में लागू किये जाने योग्य है । ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी / प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क स्वीकार योग्य नहीं है और प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील वैकल्पिक सहायता की सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य हैं ।

28. फलतः प्रथम सिविल अपील **आंशिक रूप से स्वीकार** करते हुये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 30—11—11 डिकी दिनांक 5—12—11 को अपास्त करते हुये वादी/अपीलार्थी के पक्ष में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क0—1 महिपाल के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञप्ति प्रदत्त की जाती है ।

- (अ) प्रत्यर्थी / प्रतिवादी महिपाल, वादी / अपीलार्थी मेवाराम को प्र0पी0—4 एंव 5 के तहत प्राप्त की गई कुल राशि 38,400 / (अडतीस हजार चार सौ रूपये) एवं उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दावा दायरी दिनांक 27—10—10 से पूर्ण अदायगी तक भुगतान कर रसीदें प्राप्त करें ।
- (ब) प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये प्रत्यर्थी / प्रतिवादी अपने प्रकरण व्यय के साथ साथ वादी / अपीलार्थी का प्रकरण व्यय भी वहन करेगें जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका मुताबिक जो भी कम हो जोडा जाये।

तद्नुसार डिकी तैयार हो ।

दिनांक- 14/10/2014

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर पारित किया गया । मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) (पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)